रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 166] नई दिल्ली, शनिवार, मई 2, 1970/वैशाख 12, 1892
No. 166] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 2, 1970/VAISAKHA 12, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd May 1970

S.O. 1628.—Whereas a vacancy has occurred in the Narmada Water Disputes Tribunal, constituted by the notification of the Government of India in the Ministry of Irrigation and Power No. S.O. 4054 dated the 6th October, 1969, consequent on the resignation of Shri Justice G. C. Mathur;

And whereas the Chief Justice of India has nominated Shri Justice E. Venkatesam of the Andhra Pradesh High Court to fill the said vacancy under section 5-A of the Inter-State Water Disputes Act, 1956 (33 of 1956);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 4, read with section 5-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following amendment in the said notification, namely:—

In the said notification, for item (iii), the following item shall be substituted, namely:—

"(iii) Shri Justice E. Venkatesam, Judge of the Andhra Pradesh High Court—Member."

[No. 12/6/69-WD.]

By order and in the name of the President of India.

V. V. CHARI, Secy.

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मई, 1970

का० आ० 162 :—यतः भारत सरकार के सिंचाई और विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 4055, तारीख 6 अक्तूबर, 1969 द्वारा गठित नर्मदा जल विवाद अधिकरण में एक रिक्ति, न्यायमूर्ति श्री जी० सी० माथुर द्वारा त्यागपत्र दिए जाने के परिणामस्वरूप, हुई है;

और यतः भारत के मुख्य न्यायमूर्ति ने अन्तर्राज्यिक जल विवाद अधिनियम, 1956 (1956 का 33) की धारा 5-क के अधीन उक्त रिक्ति को भरने के लिए आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री ई० वेंकटेसम का नामनिर्देशित किया है;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 5-क के साथ पठित धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिसूचना में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में अन्तिम मद (3) के स्थान पर निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(3) श्री जस्टिस ई० वेंकटेसम, उच्च न्यायालय, आन्ध्र प्रदेश के न्यायाधीश सदस्य ।"

[सं० 12/6/69-डब्ल्यू० डी०]

भारत के राष्ट्रपति के आदेश से और उन के नाम में,

वी० वी० चारि, सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970